न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व श्रीगंगानगर कैम्प 2 ...

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा,आर0ए0एस0

नम्बरी माल स0 41 सन 2015

1–बलदेवसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा ते0 श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1–हरदीपसिंह पुत्र सुखचैनसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2–सतिन्द्रपालसिंह पुत्र सुखचैनसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188–92ए राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थिति:–श्री राजेश गुम्बर एडवोकेट एडवोकेट –वादी
2–श्री सूरजभान नायब तहसीलदार – स्टेट
:–निर्णय:– दिनांक:– 19 मई, 2016

सक्षेंप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके चक 8 वाई खाता स0 93/92 के मु0न026 कि0न09/2 में 0.082,21/3में 0.069कुल 0.151 हैक्टयर नहरी भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता सुखचैनसिंह के नाम से थी। वादी का भाई एंव वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादीगण जो कि वादी का भतीजे है,के नाम खातेदारी दर्ज हैं परन्तु वादी के कब्जा काश्त में अर्सा वर्षो से आपसी सहमति से चली आ रही है। वादी का कब्जा बाखूबी साबित है एंव वादीगण ने अपनी फसल काश्त कर रखी है।मौके पर खड़ी है। उपरोक्त आराजी की पानी की पर्ची वादी को दी जा रही है। उक्त विवादास्पद भूमि से प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल करने से बाज व ममनू रहें।वादी की फसल व कब्जा में मदाखलत करने से बाज व ममनू रहें। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20–1–2016 को प्रतिवादीगण के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं।वादी की और से दिनांक 29–4–2016 को साक्ष्य में शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा जमाबन्दी प्रदर्श करवाई गई।

दिनांक 13–5–2016 को वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र को दोहराते हुऐ वाद वादीगण डिकी कर उनके कब्जा काश्त में बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल करने व खडी फसल में किसी प्रकार से मदाखलत न करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

— cont. (2)

(2)

वाद सं० 41/15

हमने बहस वकील वादीगण पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के विरुद्व दिनांक 20–1–2016 को एक तरफा कार्यवाही हो चुकी हैं। वादपत्र एंव शपथपत्र के अनुसार उक्त विवादास्पद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में हैं एंव मौके पर फसल वादीगण की हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादास्पद भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण मदाखलत बेजा ना करें।पर्चा डिक्री जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 11-5–2016 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर